2. श्री खण्डेलवाल वैश्य केन्द्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय :–

यह विद्यालय वर्ष 2011 तक राजस्थान सरकार से 60 प्रतिशत अनुदानित विद्यालय था।

1988 से 1990 तक विद्यालय में उत्तर पूर्व दिशा में नीचे कमरे तथा प्रथम मंजिल पर हॉल का निर्माण।

2015 से 2018 के मध्य विद्यालय को आधुनिक साधनों से सुसज्जित करते हुए पुनः प्रतिस्थापित करने की योजना बनाकर प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों ने स्वयं के सहयोग से एक एक कमरे का जीर्णोद्धार कराने का निर्णय लिया और जीर्णोद्धार कराया गया। जिनका आधुनिक साधनों से सुसज्जित होना शेष है।

वर्ष 1998 से 2004 के मध्य प्रधानाचार्य कक्ष का विस्तार कर उसमें सुविधाओं का निर्माण कराया गया। इस समय तक यह रामकिशोर ताम्बी ग्रुप के समर्थित व्यक्तियो के पास था।

वर्ष 1998 में 2200 छात्र थे जो आगे के वर्षों में घटकर वर्ष 2004– 05 में 600 रह गई। इससे विद्यालय के दायित्व बहुत बढ गये और विद्यालय बन्द होने के कगार पर पहुंच गया।

वर्ष 2004 में सचिव श्री ओम ताम्बी जिनके मेने नजाइटिस बिमारी हो जाने के कारण से आग्रह किया कि प्रबन्ध समिति के नियमानुसार तुरन्त चुनाव कराकर व्यवस्थाओं को सम्भालने का प्रयास करते हुए जिम्मेदारी से मुक्त होंवे। उनके द्वारा प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु निर्वाचन अधिकारी की विधिवत घोषणा की जो तात्कालिक हितकारिणी सभा के अध्यक्ष सोहनलाल जी ताम्बी को उचित नहीं लगा। विधिक परामर्श हेतु तीन उच्च न्यायालय में प्रक्टिसिंग खण्डेलवाल एडवोकेट से श्री रामअवतार कटटा, श्री मानसिंह गुप्ता, श्री बाबू लाल गुप्ता सलाह लेने का फैसला पदाधिकारियों की मीटिंग में किया गया। उनका पृथक पृथक परन्तु सर्वसम्मत निर्णय प्राप्त हुआ कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम के नियम 1993 के नियम 23 एवं 24 की अनुपालना करते हुए ही प्रबन्ध समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिये। अन्यथा शिक्षण संस्थाओं की मान्यता समाप्त हो जायेगी और अनुदान बन्द हो जायेगा।

निर्वाचन समिति द्वारा चुनाव कराये जाने पर जो समिति का गठन हुआ उसमें सौंकिया ग्रुप के बन्धुओं का बहुमत हो जाने से सोहनलाल जी ताम्बी एवं अन्य पदाधिकारियों को नाराजगी हुई। इससे उनके द्वारा मानसिंह जी गुप्ता द्वारा की जा रही निर्वाचन प्रक्रिया को रोकते हुए मानसिंह जी को त्यागपत्र देने के लिये विवश किया। त्यागपत्र ले लिया गया। मानसिंह जी से आग्रह करने पर उन्होने त्यागपत्र वापिस ले लिया इसके बावजूद सीताराम सेठी का आम सभा के बजाय तात्कालिक अध्यक्ष सोहनलाल जी ताम्बी ने संविधान से प्रदत्त अधिकारों से बाहर जाकर श्री रामकिशोर ताम्बी की भांति निर्वाचन समिति का संयोजक सीताराम सेठी नियुक्त कर दिया और सभी शिक्षण संस्थाओं के लिये निर्वाचन विज्ञप्ति जारी कर दी। जिसके विरुद्ध 1. श्री खण्डेलवाल वैश्य महाविद्यालय 2. श्री खण्डेलवाल वैश्य बालिका उच्च माध्य.

विद्यालय 3. श्री खण्डेलवाल वैश्य उच्च माध्य. विद्यालय, हीदा की मोरी 4. श्री खण्डेलवाल वैश्य केन्द्रीय उच्च माध्य. विद्यालय प्रबन्ध समितियों ने सक्षम न्यायालय से पृथक पृथक स्थगनादेश (देखें MainOrders -PDF Page 92 to 98 एवं 118 to 125) प्राप्त कर लिये।

इसके पश्चात् नियमानुसार तीन वर्षीय कालावधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन द्वारा नई प्रबन्ध समिति का गठन निरन्तर होता आ रहा है।

आर्थिक स्थिति :– निरन्तर विद्यार्थियों की संख्या गिरने के कारण 2009 तक आर्थिक स्थिति सम्भालने के लिये अनुदान से अप्राप्त राशियों का संग्रहण किया गया साथ ही शास्त्री नगर महाविद्यालय प्रबन्ध समिति से लगभग 40 लाख रुपये सहयोग राशि प्राप्त कर बकाया वेतन, भत्ते आदि का भुगतान किया गया फिर भी बकाया भुगतान के लिये अनेक अध्यापकों द्वारा प्राधिकरण में वाद प्रस्तुत कर दिये गये। धनाभाव के कारण से इन्हें लम्बित करने के लिये प्रयास कर अध्यापकों से समझौते की वार्ता कर समय गुजारा गया, जो वाद डिक्री हो गये उन्हें किश्तों में भुगतान किया जा रहा है।

हिन्दी माध्यम एवं आर्थिक परिस्थितियो दुष्प्रभाव विद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों पर भी पडा जिससे विद्यालय की गरिमा को गहरा आघात लगा। इसके साथ ही दरवाजे पर काबिज मुख्य दरवाजे पर बैठे कर्मचारी विधालय में प्रवेश लेने से मना करते रहने और वेतन भुगतान करने की व्यवस्था में ही लगे रहने के कारण सामान्य विकास भी रूक गया और विधालय स्तर नीचे जाता गया।